अध्याय X : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

10.1 छात्रावास ब्लॉक की क्षति के कारण ₹5.97 करोड़ की हानि

ठेकादार द्वारा दोषपूर्ण पाइलिंग कार्य करने के कारण छात्रावास ब्लॉक में झुकाव हो गया जिस कारण 144 कमरे और दो प्रसाधन ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। यद्यपि विशेषज्ञों द्वारा ठेकेदार की विफलता स्थापित की गई फिर भी आई.आई.टी.जी. इन क्षतिग्रस्त कमरों और प्रसाधन ब्लॉक जो अप्रयुक्त रह गए, के निर्माण पर हुए ₹5.97 करोड़ का व्यय वसूल नहीं कर पाया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (आई आई टी जी) ने ₹26.09 करोड़ की कुल लागत पर लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए ठेकेदार[1] को कार्य सौंपा (दिसम्बर 2007)। अनुबंध में यह निर्धारित था कि ठेकेदार 504 कमरों वाला लड़कों के छात्रावास का निर्माण जून 2010 तक पूरा कर लेगा।

कार्य निष्पादन के दौरान, आई.आई.टी.जी. ने पाया (मई 2010) कि छात्रावास भवन के 'दो प्रसाधन ब्लॉक एवं समीपस्थ ब्लॉक' में एक डिग्री (1°) का झुकाव है। झुकाव के साथ-साथ, छात्रावास समीपस्थ ब्लॉक धँस गया तथा 78 कमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसलिए, आई.आई.टी.जी. ने जुलाई 2010 में एक फर्म को '*पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट और हाई स्ट्रैन डाइनेमिक टेस्ट*[2]' करने के लिए नियुक्त किया। आगे, उन्होंने एक अन्य फर्म को इन जॉच के परिणामों के अध्ययन करने और पाइलिंग कार्य का पुन: डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया (जनवरी 2011)। जॉच के परिणामों का अध्ययन करने के बाद दूसरे फर्म ने विचार दिया[3] कि पाईल नींव 36 मिट्रिक टन (एम.टी.) के डिजाईन भार को वहन करने में सक्षम नहीं हैं और घटिया प्रकार के पाइलिंग कार्य को इसका कारण बताया।

---

[1] मैसर्स प्रागज्योतिष कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, गुवाहाटी जो बाद में मैसर्स राजशेखर कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है।

[2] एक जॉच जो पाइलिंग की क्षमता और प्रमाणिकता जांच के आकलन के लिए है।

[3] 02 फरवरी 2011 को और 12 फरवरी 2012 को

आई.आई.टी.जी. के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एक प्रोफेसर, जिसे आगे के तथ्यों की जांच करने का भार सौंपा गया था, ने भी क्षति के लिए घटिया निर्माण कार्य को दोषी माना। अपने रिपोर्ट में उन्होंने आगे बताया कि क्षतिग्रस्त ब्लॉक का निर्माण क्षेत्र एक नाला[4] को भरकर विकसित किया गया था और क्षतिग्रस्त ब्लॉक का पाइल कार्य की जांच नहीं की गई थी। तदनुसार, आई.आई.टी.जी. ने ब्लॉक को आगे और अधिक झुकने से रोकने के लिए ठेकेदार को अपने खर्च पर, रिट्रोफिटिंग करने का, निर्देश दिया (अगस्त 2012)। इसी बीच, आई.आई.टी.जी. ने छात्रावास के कमरों की संख्या 504 से घटा कर 450[5] कर दी। ठेकेदार ने सितम्बर 2013 तक रिट्रोफिटिंग सहित छात्रावास भवन निर्माण पूरा कर दिया। आई.आई.टी.जी. ने झुके ब्लॉक सहित भवन का अधिग्रहण कर लिया और दिसम्बर 2015 तक ठेकेदार को ₹25.68 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया।

चूंकि आई.आई.टी.जी. द्वारा 78 क्षतिग्रस्त कमरे का उपयोग नहीं किया जा रहा था और ठेकेदार से ₹2.43 करोड़ की निर्माण लागत राशि की वसूली नहीं की गई थी, लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2015 में मंत्रालय और आई.आई.टी.जी. को इस मामले के संबंध में उनके विचार पूछे। उत्तर में, आई.आई.टी.जी. (दिसम्बर 2015) ने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि अप्रयुक्त 78 कमरों के एवज में ₹2.43 करोड़ ठेकेदार से वसूल करेगी लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह इसे कैसे वसूल करेगी। परवर्ती लेखापरीक्षा जांच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि अन्य सम्बद्ध छात्रावास ब्लॉक भी झुक गए थे जिसने अतिरिक्त 66 कमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आई.आई.टी.जी. को इन कमरों को भी खाली रखना पड़ा। इस कारण से, आई.आई.टी.जी. को झुके हुए ब्लॉक पर स्थित 144 कमरे और 2 प्रसाधन ब्लॉक के निर्माण पर हानि ₹5.97 करोड़[6] तक बढ़ गई थी।

इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण पाइलिंग कार्य करने के कारण छात्रावास ब्लॉक में झुकाव हो गया जिस कारण 144 कमरे और दो प्रसाधन ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। यद्यपि विशेषज्ञों द्वारा ठेकेदार की विफलता स्थापित की गई फिर भी

---

[4] पानी की धारा या एक कृत्रिम नहर

[5] खराब मिट्टी के कारण 14 कमरे और ठेकेदार द्वारा कार्य नियत समय पर पूरा करने में असमर्थ रहने के कारण अन्य 40 कमरे

[6] जैसा कि आइ आई टी जी द्वारा यू.ओ. दिनांक 30 दिसम्बर 2015 के माध्यम से सूचित किया गया।

आई.आई.टी.जी. इन क्षतिग्रस्त कमरों और प्रसाधन ब्लॉक जो अप्रयुक्त रहे, के निर्माण पर हुए ₹5.97 करोड़ के व्यय को वसूल नहीं कर पाया था।

इस मामले को मंत्रालय को अक्टूबर 2015 में सूचित किया गया; दिसम्बर 2015 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

10.2 ब्याज की हानि

निवेश नीति तैयार न करने तथा बचत/चालू बैंक खाते में आधिक्य निधि को रखने का परिणाम ₹4.36 करोड़ के ब्याज की हानि में हुआ।

आधिक्य निधि का ब्याज उत्पन्न करने वाले सुरक्षित मार्गों में निवेश रोकड़ प्रबंधन का एक प्राथमिक पहलू है। इसके अतिरिक्त, एन.आई.टी. (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 21(2) तथा आई.आई.एम. रांची के संघ ज्ञापन की धारा 3 जे (vi) निर्धारित करती है कि प्रत्येक संस्थान की निधि मे क्रेडिट किए गए सभी धन को ऐसे बैंक मे जमा अथवा इस प्रकार से निवेश किया जाएगा जिसका संस्थान केन्द्र सरकार की स्वीकृति से निर्णय करे।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी) जमशेदपूर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), रांची ने अपनी निवेश नीति तैयार नहीं की थी तथा 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान ₹19.75 करोड़ के अव्ययित शेष को बचत बैंक खाते में रखा जिसने चार प्रतिशत की दर पर ब्याज उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि 2014-15 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने ₹54.25 करोड़ की आधिक्य निधि को चालू खाते में रखा था जिसे कोई ब्याज नहीं मिला।

यदि संस्थानों ने अवधि जमा प्राप्तियों (टी.डी.आर) में अव्ययित शेषों का निवेश किया होता तो वह 8 से 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष (लगभग) के बीच की ब्याज दर पर ₹4.36 करोड़ की ब्याज राशि प्राप्त कर सकते थे।

एन.आई.टी., जमशेदपुर ने बताया (नवम्बर 2015 तथा फरवरी 2016) कि वह सावधि जमा में आधिक्य निधि का निवेश करने हेतु कदम उठा रहे है जबकि आई.आई.एम., रांची ने बताया (जनवरी 2016) कि वर्तमान में ₹2.69 करोड़

एच.डी.एफ.सी. बचत बैंक खाते में बचे है तथा लेखापरीक्षक के संकेत को भविष्य मे कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है।

एन.आई.टी, पटना ने उत्तर दिया (दिसबंर 2015) कि चालू खातों को मई 2015 के दौरान पहले ही बचत खाते में परिवर्तित कर दिया गया था।

इस प्रकार, संस्थाओं द्वारा निवेश नीति तैयार न करने तथा बचत बैंक खाते एवं चालू खाते में आधिक्य निधि को रखने के परिणामस्वरूप ₹4.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (8 फरवरी 2016); उनका उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2016)।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

10.3 निष्फल व्यय

डी एस टी द्वारा निर्धारित परियोजना, की पूर्व शर्तों को पूर्ण करने में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की विफलता एवं एम एच आर डी को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का संवर्धन संस्करण प्रस्तुत न किये जाने का परिणाम परियोजना को बंद करने तथा ₹1.41 करोड़ का निष्फल व्यय में हुआ।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संस्थान), इलाहाबाद के राजीव गॉधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी परिसर में "ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु एस एवं टी डिस्कवरी पार्क" नामक परियोजना हेतु कुल ₹2.42 करोड़ दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन (नवम्बर 2008) किया गया। तत्समय इस आशय के साथ कि परड्यू यूनिवर्सिटी (पी.यू.), यू.एस.ए. के साथ अनुबन्ध/संयोजन हस्ताक्षर; तकनीकी प्रदर्शन में मुख्य हितधारकों, यथा किसानों की प्रतिभागिता एवं उपकरणों का क्रय सामान्य वित्तीय नियमावली में सन्निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा, प्रथम किस्त ₹1.50 करोड़ को भी स्वीकृत कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रकार का कोई अनुबंध पी.यू., यू.एस.ए. के साथ हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। इसके अलावा, कार्यकारिणी द्वारा डिस्कवरी पार्क परियोजना के संवर्धन (एम एच आर डी) संस्करण के स्वीकृति हेतु मानव संसाधन

विकास मंत्रालय से संपर्क करने के लिए अनुमोदन (अगस्त 2009) किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा मंत्रालय से कभी भी संपर्क नहीं किया गया था सितम्बर 2012 में संस्थान ने डी एस टी को अवगत कराया कि पी.यू. यू.एस.ए. के साथ पांच वर्ष की अवधि की वैधता वाला अनुबंध किया गया और डी एस टी से अनुरोध किया गया कि नवम्बर 2008 में स्वीकृत अनुदान को जारी करें साथ ही यह भी सूचित किया गया कि परियोजना पर जुलाई 2009 से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जबकि डी एस टी द्वारा कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

यद्यपि परियोजना अवधि वर्ष 2010 में समाप्त हो गयी थी, किन्तु संस्थान द्वारा डी एस टी की शर्तों को पूर्ण किये बिना परियोजना को जारी रखा गया। मई 2014 में प्रबंध-बोर्ड ने परियोजना को बंद किये जाने का निर्णय लिया। परियोजना पर डी एस टी से अनुदान प्राप्त किये बिना संस्थान द्वारा वर्ष 2015-16 तक अपने स्त्रोतों से ₹1.41 करोड़ व्यय किया गया।

इस प्रकार, परियोजना पर डी एस टी द्वारा अनुमोदित शर्तों को पूर्ण न करने और एम एच आर डी को परियोजना के संवर्धन संस्करण का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.41 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

एम एच आर डी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2015) कि परियोजना अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त किये बिना ही जारी रखी गयी जबकि प्रारंभिक स्वीकृति वर्ष 2010 में ही समाप्त हो गयी थी और डिस्कवरी पार्क परियोजना के संवर्धन संस्करण का प्रस्ताव भी एम एच आर डी को प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्थान प्रबंधन बोर्ड ने परियोजना को अलाभकारी पाया तथा परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया। डी एस टी ने भी परियोजना को बिना निधि स्वीकृत किए बंद कर दिया (अक्तूबर 2014)।

तथापि, तथ्य यह है कि संस्थान ने पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना परियोजना को जारी रखा तथा डी एस टी से बिना कोई निधि प्राप्त करने के फलस्वरूप ₹1.41 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

10.4 अनियमित प्रतिपूर्ति

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आई.आई.टी.के.) ने, एल.टी.सी. नियमों का उल्लघंन करते हुए एल.टी.सी. के उपयोग करते समय निजी वाहन से यात्रा करने पर भी अपने संकाय सदस्य और स्टाफ को ₹62.03 लाख राशि प्रतिपूर्ति की।

सी.सी.एस. (एल.टी.सी.)[7] का नियमावली 1988 का नियम 12(2) प्रावधान करता है कि यदि यात्रा निजी कार (स्वामित्व, उधार या किराए की) या निजी ऑपरेटर की स्वामित्व वाली बस वैन या अन्य वाहन के उपयोग से की जाती है तो प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। आगे, छठे वेतन आयोग की संस्तुति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डी.ओ.पी.टी.) ने सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियमावली 1988 में यह भी जोड़ा (सितम्बर 2008) कि एल.टी.सी. केवल तभी देय होगा जब यात्रा सरकार द्वारा प्रचालित वाहनों या सार्वजनिक क्षेत्र के कोई कॉरपोरेशन जो केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित वाहनों के द्वारा की गई है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के एल.टी.सी. बिलों की नमूना जॉच (दिसम्बर 2014 और नवम्बर 2015) ने प्रकट किया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (आई.आई.टी.के.) ने स्टाफ को अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के दौरान 569 मामलों में एल.टी.सी. का उपयोग करते समय संकाय सदस्य और स्टाफ को सड़क द्वारा निजी वाहनों से यात्रा करते हुए व्यय हेतु ₹62.03 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की।

अत: आई.आई.टी.के. ने, एल.टी.सी. नियमों का उल्लंघन करते हुए, एल.टी.सी. का उपयोग करते समय निजी वाहनों से यात्रा करने पर भी अपने संकाय सदस्य और स्टाफ को ₹62.03 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की ।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि आई.आई.टी.के. से निकटतम हवाई अड्डे की दूरी 150 किलोमीटर है और कोई सीधे सरकारी सड़क परिवहन उपलब्ध नहीं

[7] केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश यात्रा रियायत)

है। रेलवे द्वारा हवाई अड्डे तक की यात्रा बहुत ही समय लगने वाली और खर्चीली है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आई.आई.टी.के. ने सड़क द्वारा यात्रा करने पर वास्तविक व्यय, हकदार श्रेणी का रेलवे किराया और एल.टी.सी. नियम के अनुसार रोड माइलेज में जो भी कम हो, से सीमित करने की नीति बनाई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियमावली, 1988 के अनुसार निजी साधनों से यात्रा करने पर प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है।

शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नवोदय विद्यालय समिति

10.5 निधियों का अवरोधन

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वन विभाग से निर्बाधता प्राप्त किये बिना कार्य दिए जाने के परिणामस्वरूप समय से पहले कार्य बंद करना पड़ा एवं ₹171.80 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश (जनवरी 2011) के द्वारा संशोधित वन मंत्रालय संरक्षण अधिनियम 1980 के पैरा 4.4 के अनुसार यदि कोई परियोजना वन एवं गैर-वन भूमि को सम्मिलित करती है तो गैर वन भूमि पर कोई कार्य प्रारभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा उक्त वन भूमि को अवमुक्त न किया जाये। पुन: सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल पैरा 15.1(2) (i) के अनुसार निविदा आमंत्रित सूचना (एन.आई.टी.) करने के पूर्व विवादमुक्त कार्यस्थल का होना वांछनीय है।

बिहार राज्य सरकार द्वारा ग्राम माकपा जिला जहानाबाद (बिहार) में 27.50 एकड़ मूल्य रहित भूमि नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) को जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.यू.) के निर्माण हेतु आबंटित की गयी (जुलाई 2001)। जे.एन.यू. ने जुलाई 2001 में विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि पर कब्जा प्राप्त किया। राज्य सरकार को विद्यालय निर्माण हेतु विवाद मुक्त भूमि प्रदान करनी थी। एन.वी.एस. ने वांछित कार्य करने के पूर्व भूमि की स्थिति का सत्यापन नही किया और एन.वी.एस. ने नवम्बर 2001 में ₹505.02 लाख के फेस ए के कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की तथा के.लो.नि.वि., पटना को कार्य स्वीकृत की तिथि के पंद्रहवे दिन से 15 माह में कार्य समाप्त करने की शर्त पर कार्य सौंपा।

यद्यपि सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के अनुसार कार्य का टेंडर आमंत्रित करने के पूर्व विवाद मुक्त भूमि वांछनीय है, तथापि सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा एक एजेंसी के माध्यम से अक्टूबर 2002 मे कार्य प्रारंभ किया गया तथा जनवरी 2001 से फरवरी 2006 के मध्य ₹171.80 लाख का व्यय किया गया।

निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा अगस्त 2004 में रोक दिया गया क्योंकि जे.एन.यू. द्वारा वन विभाग की भूमि पर पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही विद्यालय का निर्माण किया जा रहा था। चूँकि, राज्य सरकार को मूल्य रहित, विवाद मुक्त भूमि एन.वी.एस. को उपलब्ध करानी थी, राज्य सरकार द्वारा वन विभाग की देयताओं का अप्रैल 2011 में भुगतान कर दिया गया था।

शेष निर्माण कार्य के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. से संपर्क किया गया तथा उनसे शेष कार्य के लिए आँकलन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। यद्यपि समिति द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मार्च, जुलाई, अक्तूबर और दिसम्बर 2014 में निवेदन किया गया था परन्तु सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने आकलन प्रस्तुत नहीं किया। चूँकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. शेष कार्य के लिए आकलन प्रस्तुत करने में असफल रहा, इसलिए समिति द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से आबंटित कार्य जून 2015 में वापस ले लिया गया और कार्य अभी तक अपूर्ण रहा।

इस प्रकार एन.वी.एस. द्वारा वन विभाग से भूमि के लिए निर्बाध्यता प्राप्त किये बिना सी.पी.डब्ल्यू.डी. को विद्यालय के निर्माण हेतु कार्य सौपने और सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा विवाद मुक्त भूमि की उपलब्धता की जाँच किये बिना कार्य की निविदा जारी करने के परिणामस्वरूप बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य को बंद किये जाने के कारण ₹171.80 लाख की धनराशि का अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2016)।

10.6 निष्फल व्यय

स्टेट मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उसकी सहमति के बिना आर एम सी की भूमि के हस्तांतरण पर आपत्ति उठाये जाने के बाद भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण ₹90.25 लाख निष्फल व्यय हुआ।

पश्चिम बंगाल सरकार (जी.डब्ल्यू.बी.) ने तूफानगंज, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.यू.) की स्थापना करने का निर्णय (2005 में) लिया और जी.डब्ल्यू.बी. एवं नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) द्वारा निरीक्षण के पश्चात् (जनवरी 2006) एग्री मार्केटिंग विभाग के अन्तर्गत तूफानगंज रेगुलेटेड मार्केटिंग कमेटी (आर एम सी) की अनुपयोगी भूमि का चयन किया गया तथा ब्लाक लैंड एवं लैंड रिफार्म ऑफिसर तूफानगंज, जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा 10.00 एकड़ भूमि प्रधानाचार्य जे.एन.वी., कूच बिहार को हस्तांतरित की गयी (जुलाई 2007)।

अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2015) में पाया गया कि एन.वी.एस. द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. को साईट क्लियरेंस के बिना कार्य के लिए ₹672.77 लाख के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई (अगस्त 2007) जो सी.पी.डब्ल्यू.डी. वर्क्स मैनुअल 2014 के सेक्शन 4.2 के विरूद्ध था जिसके अनुसार प्रस्ताव के प्रायोजन विभाग/मंत्रालय से बाधा रहित भूमि की उपलब्धता का आश्वासन प्राप्त किये जाने के बाद ही विस्तृत अनुमान, ड्राइंग एवं डिजाईन तैयार किए जाना चाहिए। तत्पश्चात, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ने बिना उसकी सहमति के आर एम सी भूमि के हस्तांतरण पर आपत्ति उठाई (अगस्त 2007) तथा हॉट संग्राम समिति द्वारा जे.एन.वी. निर्माण के विरोध में एक स्थानीय आन्दोलन शुरू किया गया (अगस्त 2007)। क्लियर साईट की अनुपलब्धता के बावजूद सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने पुलिस अभिरक्षा में चार दीवारी का निर्माण शुरू किया (जनवरी 2008) तथा पूर्ण कर दिया (जुलाई 2008) तथा नवम्बर 2008 तक निर्गत धनराशि ₹303.77 लाख में से ₹90.25 लाख उस पर व्यय किया गया। तत्पश्चात्, हॉट संग्राम समिति के प्रतिरोध के कारण कार्य पुन: प्रारम्भ नहीं किया जा सका था एवं भूमि विवाद हल नहीं हो सका था (जून 2015) ।

परिणामस्वरूप, एन.वी.एस. द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से तत्काल प्रभाव से कार्य वापस लेने का निर्णय लिया गया (जून 2015) तथा जे.एन.वी., बारोविशा के दूसरे कार्य में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा शेष[8] धनराशि को समायोजित कर लिया गया।

इस प्रकार, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड द्वारा आर एम सी की भूमि के हस्तांतरण में आपत्ति उठाये जाने (अगस्त 2007) के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ₹90.25 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2015 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2016)।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

10.7 डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण में परिहार्य व्यय

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर ने (.टी.आई.एन.एम) .टी.आई.एन.एम के डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण के कार्य को सामान्य वित्तीय नियमावली तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन में नामांकन आधार पर आवास विकास लिमिटेड जयपुर को सौंपा जिसका परिणाम (एवीएल)₹138.13 लाख के परिहार्य व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 126(2) के अनुसार, एक मंत्रालय अथवा विभाग, अपने स्वंय निर्णय से, ₹30 लाख से अधिक की अनुमानित लागत के मरम्मत निर्माण कार्य तथा किसी भी मूल्य के मूल निर्माण कार्य को किसी लोक निर्माण संगठन जैसे कि सी.पी.डब्ल्यू.डी., राज्य निर्माण प्रभाग, जन्य सरकारी संगठन जो सिविल अथवा विद्युत निर्माण कार्य को करने हेतु प्राधिकृत है जैसे कि मिलीट्री इंजीनिरिग सर्विस, सीमा सड़क सगंठन आदि, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सिविल अथवा विद्युत निर्माण कार्य करने हेतु स्थापित लोक क्षेत्र उपक्रम अथवा अन्य केन्द्र/राज्य सरकारी सगंठन/पीएसयू, जिसे शहरी विकास मंत्रालय को अधिसूचित किया गया हो, को उनकी वित्तीय दृढता तथा तकनीकी सम्पन्नता का मूल्यांकन करने के पश्चात सौंप सकेगा।

[8] विद्युत प्रभाग, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास ₹10 लाख छोड़कर

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (एम.एन.आई.टी.) ने एम.एन.आई.टी. के डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण के कार्य को नामांकन आधार पर आवास विकास लिमिटेड (एवीएल) जयपुर को सौंपा (18 अक्तूबर 2011)। निर्माण की प्रारम्भिक लागत ₹1200.00 लाख थी जिसे बाद में जुलाई 2012 में डिजाईन केन्द्र को अतिरिक्त विशिष्टताओं के कारण ₹1672.87 लाख तक संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य को सौंपने के समय (18 अक्तूबर 2011) एवीएल कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी नहीं थीं। इस प्रकार एवीएल खुली निविदा प्रक्रिया को अपनाए बिना नामांकन आधार पर कार्य को सौपने हेतु एक योग्य अभिकरण नहीं था। कार्य को सौपना सीवीसी के कार्यालय आदेश दिनाँक 5 जुलाई 2007 के उल्लंघन में भी था जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दोहराता है, जो अनुबंध करता है कि राज्य, इसके निगमों, सहायकों तथा अभिकरणों द्वारा संविदाएं सार्वजनिक नीलामी/ सार्वजनिक निविदा के माध्यम से सामान्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए तथा विशेष मामलों में, उदाहरणार्य प्राकृतिक आपदा तथा सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान, इस सामान्य नियम को नष्ट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका की धारा 12 के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी केन्द्र सरकारी निर्माण कार्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के निर्माण कार्य हेतु किसी विभागीय प्रभारों का उदग्रहण नहीं करता है। तथापि, एमओयू (एमएनआईटी तथा एवीएल के बीच किए गए) की धारा 2 अनुबंध करती है कि एवीएल निर्माण की वास्तविक लागत के 9 प्रतिशत को अभिकरण प्रभारों के रूप में प्रभारित करेगा। यदि जमा कार्य सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया होता तो एमएनआईटी ₹138.13 लाख[9] की बचत कर सकता था जिसमें से ₹117.39 लाख पहले ही अदा किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर एमएनआईटी ने बताया (जून 2015) कि एवीएल को कार्य सौपना जीएफआर 2005 के नियम 126(2) के अनुसार पूर्णतया नियमित था तथा इस कारण कोई परिहार्य व्यय नहीं था। प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने उत्तर के समर्थन में निम्नलिखित कारण प्रेषित किए थे:

[9] एवीएल को देय ₹1534.74 लाख के 9 प्रतिशत अभिकरण प्रभार होने से

- एवीएल 20 सितंबर 2011 को एक सरकारी कम्पनी थी क्योंकि एवीएल की अंश पूंजी में सरकारी निवेश करने का निर्णय 20 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा लिया गया था।
- सीपीडब्ल्यूडी को कार्य करने का अनुरोध किया गया था परंतु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।
- कथित कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नहीं सौंपा गया था क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा उद्ग्रहित अभिकरण प्रभार कार्य की लागत का 16 प्रतिशत था जो एवीएल द्वारा प्रभारित दर अर्थात् 9 प्रतिशत से स्पष्ट रूप से अधिक था।
- छात्रों को कोई अतिरिक्त हानि से बचने के लिए आधुनिक कम्प्यूटर केन्द्र-सह-डिजीटल पुस्तकालय की अति आवश्यकता थी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि

- शहरी विकास विभाग, राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को राजस्थान सरकार के मंत्रीमण्डल द्वारा 28 नवम्बर 2011 को स्वीकृत किया गया था। कम्पनी पंजीयक द्वारा निगमीकरण का एक नया प्रमाण पत्र 21 मई 2012 को जारी किया गया था तथा इस तिथि का केवल एवीएल के एक सरकारी कम्पनी के रूप में होने की तिथि के रूप में माना जा सकता है।
- एमएनआईटी ने सीपीडब्ल्यूडी को आठ निर्माण कार्यों को करने हेतु माह अगस्त 2011 में पत्र लिखा था। आठ निर्माण कार्यों में से सात कार्यों को सीपीडब्ल्यूडी से करवाया गया था तथा यह कार्य एवीएल के माध्यम से किया गया था। यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं था कि सीपीडब्ल्यूडी ने डिजाईन केन्द्र के कार्य का निष्पादन करने से इंकार किया था।
- पूर्ण कार्य को 18 मार्च 2013 अर्थात् एमओयू दिनाँक 18 अक्तूबर 2011 की तिथि से 15 महीनों तक समाप्त किया जाना था, परंतु कार्य को फरवरी 2015 तक समाप्त नहीं किया जा सका था इसलिए कार्य की अति आवश्यकता का आधार उचित प्रस्तुत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, एम.एन.आई.टी. ने एवीएल के साथ किए एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्य के समापन में विलम्ब हेतु कोई जुर्माना भी नहीं वसूल किया गया है।

इस प्रकार, एवीएल को सिविल कार्य के अनियमित सौंपे जाने के अतिरिक्त, एमएनआईटी ने डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण में कार्य की वास्तविक लागत की 9 प्रतिशत की दर पर अभिकरण प्रभार होने से ₹138.13 लाख का परिहार्य व्यय भी किया।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (मार्च 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2016)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

हैदराबाद विश्वविद्यालय

10.8 श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न होना

स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज भवन और पांच अन्य भवनों के निर्माण कार्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के बिल से ₹77.28 लाख के श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं हुआ और ब्याज एवं दंड भुगतान की जिम्मेदारी बनी।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रखयापित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) यह प्रावधान करता है कि नियोजक द्वारा निर्माण पर खर्च की गयी लागत पर उस दर जो न दो प्रतिशत से अधिक हो और न ही एक प्रतिशत से कम होसे उपकर लगाया एवं वसूला जाए। अधिनियम के तहत, आन्ध्र प्रदेश सरकार (जी.ओ.ए.पी.) ने 26 जून 2007 के आगे से ठेकेदारों/अभिकरणों को उनके द्वारा निष्पादित भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों (भूमि की लागत को छोड़कर) के संबंध में अदा किए गए सभी बिलों पर एक प्रतिशत उपकर की कटौती करने के निर्देश (अप्रैल 2007) जारी किए। फलस्वरूप, अप्रैल 2007 में आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना की गयी थी।

अधिनियम के तहत निर्मित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 4(3) के अनुसार यदि उपकर का उद्ग्रहण सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित हो तो वह सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए जाने वाले बिलों से अधिसूचित दर पर उपकर की कटौती करेगा या करवाएगा। इसके

अतिरिक्त, नियम 5(3) के अनुसार, ऐसी वसूल की गयी राशि को वसूली के 30 दिनों के अन्दर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड को अंतरित कर दिया जाएगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जिस तारीख को भुगतान देय था उसके बाद प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए उपकर की राशि के समतुल्य दंड के साथ-साथ दो प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान की भी जिम्मेदारी होगी।

विश्विद्यालय ने "स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज[10] के लिए भवन निर्माण" कार्य का ठेका ₹47.72 करोड़ के प्रारंभिक सहमत संविदा मूल्य पर मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद (ठेकेदार) को दिया (मार्च 2008)।

तत्पश्चात् ₹33.80 करोड़ का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को दिया गया (जुलाई 2009)। वर्धित संविदा मूल्य पर अतिरिक्त कार्य के साथ पूरे कार्य का मूल्य ₹81.52 करोड़ हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किया गया कि कार्य 30.11.2011 को पूर्ण हुआ और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का मूल्य CCXIII एवं भाग बिल ₹77.49 करोड़ था। विश्विद्यालय द्वारा कुल ₹77.28 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया (मार्च 2012 तक)। अंतिम बिलों का निपटान अभी तक किया जाना बाकी था।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के बिलों से ₹77.28 लाख[11] राशि के वैधानिक उपकर की कटौती कर के बोर्ड के पास जमा नहीं की गयी। इस प्रकार, श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती एवं उसको बोर्ड के पास जमा करने में विफलता से अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ एवं यह जिम्मेदारी बनी कि वसूल न की गयी ₹77.28 लाख की राशि का ब्याज एवं दंड के साथ भुगतान किया जाए।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2015) कि उसने निर्णय लिया है कि उसके पास विद्यमान ठेकेदार के बकाया बिलों/जमानत से श्रमिक कल्याण उपकर की ₹77.28 लाख की राशि को उस पर लागू ब्याज एवं उस पर दंड के साथ वसूल किया जाएगा। यह भी बताया गया कि इस प्रकार से वसूल की गयी राशि को बोर्ड को प्रेषित कर दिया जायेगा।

---

[10] वातानुकूलित कार्यों सहित, लडकों के छात्रावास के द्वितीय तल का विस्तार, स्टडी इंडिया प्रोग्राम (एस.आई.पी.) भवन, ए और बी प्रकार के क्वार्टर और शिक्षक फ्लैट्स, पी 3 सुविधा भवन, छात्रावास भवन (दो खण्ड) और विश्वविद्यालय परिसर (कार्य) में केंद्रीय रसोई।

[11] किए गए कार्य के मूल्य (₹77.28 करोड़) पर एक प्रतिशत की निर्धारित दर से

मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर को पृष्ठांकित किया (दिसम्बर 2015) और बताया कि मामले को विश्वविद्यालय के साथ उठाया गया है और विश्वविद्यालय को नियमानुसार श्रमिक कल्याण उपकर की ₹77.28 लाख की राशि को लागू ब्याज एवं उस दंड के साथ वसूल करने के लिए सूचित कर दिया है।

10.9 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 'ग्रंथना विभाग, विश्व भारती कोलकाता के प्रकाशन गतिविधियां

जी.वी. की वित्तीय क्षमता उच्चतर माध्यमिक परिषद से अनुबंध के अप्रैल 2013 में खत्म होने के बाद से गिर रही है तथा जी.वी. ने इसे सुधारने के लिए कोई प्रभावशाली योजना नहीं बनाई। इसके अतिरिक्त जी.वी. प्रकाशन से पहले मार्केटिंग आकलन के अभाव में निर्धारित समय के भीतर प्रकाशित ग्रंथो को नहीं बेच सकी। उच्च माध्यमिक परिषद की किताबें परिषद के अनुमति के बिना प्रकाशित हुई जिससे निष्फल व्यय हुआ। पर्याप्त सेल ऐजेंटों को नहीं तैनात किया गया और निष्क्रिय ऐजेंटो को नही हटाया गया। जी.वी. का स्टोर मैनेजमेंट अक्षम था जिसके कारण किताबों की क्षति हुई तथा कम बिकने वाली किताबों का निपटान नहीं हुआ।

10.9.1 रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती (वी.बी.) का ग्रंथना विभाग (जी.वी.) प्रारंभ अर्थात् 1923 से ही स्वायत्त स्व-वित्तपोषित संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में जी.वी., ग्रंथन विभाग मैनेजमेंट कमेटी (जी.वी.एम.सी.) द्वारा चलाई जा रही है, इसकी स्थापना मार्च 1984 में वी.बी. के कर्मा समिति (के.एस.) द्वारा की गई। जी.वी. टैगोर पर/टैगोर की किताबे, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद (काउंसिल) की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता तथा बेचता है। सीएजी के डीपीसी एक्ट 1971 की धारा 19(2) के तहत जून से अगस्त 2015 के दौरान वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए जी.वी. के प्रकाशन गतिविधियों पर लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी.वी. ने न तो प्रकाशन नीति बनाई और न ही प्रकाशन गतिविधियों को कुशल, प्रभावशाली तथा आर्थिक तौर पर निष्पादित किया जिससे कि जी.वी. की व्यावसायिक क्षमता प्रभावित हुई जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों से स्पष्ट होता है।

10.9.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

10.9.2.1 टैगोर पर/टैगोर की किताबों का प्रकाशन

वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान, जी.वी. ने कुल 141 शीर्षक प्रकाशित किये जिसमें से 25 नए (8 वी.बी. पत्रिका सहित) और 116 दुबारा प्रकाशित शीर्षक है। प्रकाशन में पाई गई कमियाँ नीचे वर्णित है।

(i) प्रकाशन की पुस्तकों के चयन और निर्धारण की कोई नीति नहीं होना।

- नये शीर्षकों के प्रिंट वाल्यूम के निर्णय के लिए न कोई मानक था और न ही जी.वी. ने प्रकाशन से पहले नई शीर्षकों के बिक्री-योग्यता का आकलन किया। जी.वी. के निदेशक ने बिना किसी औचित्य के प्रिंट होने वाले नए शीर्षकों का वाल्यूम नियत किया। मुद्रित पुस्तकों को अगले तीन वर्षों में बेचा जाना अपेक्षित था। वर्ष 2012-15 में 17 नए मुद्रित शीर्षकों की नमूना जांच करने पर पाया गया कि 17200 मुद्रित प्रतियों में से मात्र 1929 प्रतियों (11 प्रतिशत) को बेचा गया। इन 17 शीर्षकों में से, दो शीर्षकों 2012-13 में प्रकाशित किये गए। यद्यपि मुद्रित किताबों को अगले तीन वर्षों के दौरान बेचा जाना अपेक्षित था लेकिन इन दो किताबो के प्रकाशन के अगले तीन वर्ष के दौरान केवल 12 और 29 प्रतिशत ही बेचा गया। अत: वर्ष 2012-13 के दौरान प्रकाशित दो शीर्षकों के 2634 प्रतियाँ नही बेचे जाने से इनके प्रकाशन पर ₹4.80 लाख राशि अवरूद्ध हो गई।

- जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि स्वीकार्य चलन के अनुसार सामान्यत: अंग्रेजी किताबों की 1100 प्रतियाँ और बांग्ला किताबों की 600 प्रतियां मुद्रित हुई। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जी.वी. में एक बांग्ला किताब की 2100 प्रतियां और अन्य चार बांग्ला किताब की 1100 प्रतियां मुद्रित की। यहां तक कि मुद्रण के लिए नियत 1100 तथा 600 किताबों का परिणाम काफी ज्यादा है क्योंकि मार्च 2015 तक केवल 11 प्रतिशत किताबें ही बेची जा सकी।

- पुन: मुद्रण आदेश हेतु मानक था कि जब किसी विशेष किताब की स्टॉक में 100 प्रतियां शेष रह जाती है तो पुन: मुद्रण के लिए आदेश दिया जाता है। वर्ष 2012-15 के दौरान 116 पुन: मुद्रित शीर्षकों में से 19 शीर्षकों का नमूना जांच में पाया गया कि सात मामलों में किताबों का पुन: मुद्रण किया

गया जबकि स्टॉक 100 से ज्यादा प्रतियां (155 से 1200 प्रतियों के बीच) मौजूद थी। जी.वी. ने पुन: आदेश के स्तर उल्लिखित किए बिना (दिसंबर 2015) बताया कि कुछ शीर्षकों विशेष रूप से स्वाराबितन क्रम का पुन: मुद्रण किया गया जबकि स्टॉक 100 से ज्यादा था क्योंकि उन किताबों की बिक्री ज्यादा थी। यह उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि छ: शीर्षकों और है जहाँ स्टॉक में 100 से ज्यादा प्रतियां है और यहाँ तक कि दो मामलों में पुन: मुद्रण के आदेश के समय 1000 और 2000 स्टॉक पाया गया।

(ii) नई शीर्षकों की मंजूरी नहीं होना

नई शीर्षकों का प्रकाशन तभी शुरू किया जा सकता है जब पांडुलिपि विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षित तथा मंजूरी प्रदान की गई हो। समीक्षकों के चयन का कोई नियम नहीं है। पांडुलिपि को किसी विशेष समीक्षक के पास भेजने का औचित्य अभिलेख में मौजूद नही है। लेखापरीक्षा में पाया कि कुल 17 नए शीर्षकों में से-

- छ: शीर्षकों की 5600 प्रतियां विशेषज्ञ/समिति के पुनरीक्षण/अनुमोदन के बिना प्रकाशित हुई और मार्च 2015 तक केवल 705 प्रतियां बेची गई। प्रत्येक शीर्षक के बिक्री का प्रतिशत चार और 29 प्रतिशत के बीच रहा। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि विश्व भारती प्रकाशन के लेखक और समीक्षक इतने विख्यात है कि प्रत्येक शीर्षक के लिए अलग औचित्य की आवश्यकता नहीं हुई। उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि जी.वी.एम.सी. ने किसी लेखक/शीर्षक का उल्लेख नहीं किया जो समीक्षा/अनुमोदन के परे है।
- जी.वी.एम.सी. के अनुशंसा के बिना ₹5.50 लाख मूल्य के तीन शीर्षकों की 2300 प्रतियां वर्ष 2013-15 के दौरान प्रकाशित की गई थीं। जिसमें से केवल 500 प्रतियां मार्च 2015 तक ₹1.40 लाख की विक्रय मूल्य पर बेची गई। जी.वी. ने बताया (अगस्त 2015) कि क्योंकि जी.वी.एम.सी. मीटिंग नहीं होने के कारण, पांडुलिपियों को अनुशंसा के लिए नही भेजा गया। उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि जी.वी.एम.सी. की कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त नही की गई।
- जी.वी.एम.सी. द्वारा नई शीर्षकों के प्रकाशन के प्रिंटिग के लिए निर्धारित अवधि का कोई मानक नियम नही तय किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2012 से अक्तूबर 2014 के दौरान जी.वी.एम.सी. ने 28 नए

शीर्षकों के प्रकाशन की अनुशंसा की जिसमें से केवल 8 प्रकाशित हुए और बाकी 20 शीर्षक जी.वी.एम.सी. के अनुशंसा के 12 से 43 महीने (नवंबर 2015) बीत जाने के बावजूद प्रकाशित नही हुए। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(iii) मुद्रण की दरों में प्रतिस्पर्धा का अभाव

चार मुद्रण प्रौद्योगिकीविदों की टीम ने (दिसंबर 2012) विभिन्न घटको जैसे रचना, प्रिटिंग, जिल्दसाजी, इत्यादि की दरें विहित की। उक्त प्रौद्योगिकीविदों द्वारा सात प्रेसों की सूची बनाई गई और जी.वी. ने उस दर को स्वीकार किया और तदनुसार प्रेसों को भुगतान कर दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार शीर्षकों वर्ष 2013-15 के दौरान सूची से बाहर के प्रेसो में मुद्रित हुए। दो मामलों में किताबें तय दरों से उच्च दरों पर मुद्रित की गई तथा उच्च दरों के कारण ₹2.66 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि सूची में नही शामिल प्रेसों को बाद में अनुमोदित सूची में शामिल किया गया। तथापि तथ्य यह है कि किताबे सूची में शामिल न हुई प्रेसों से उच्च मूल्य पर प्रकाशित हुई।

(iv) प्रेस द्वारा सुपुर्दगी में देरी

प्रेसों को दिए जाने वाले कार्य आदेश जारी होने के बाद की तिथि से 30 से 60 दिनों के अंदर किताबों की सुपुदर्गी अनुबंधित करता है जिसके विफल होने पर जी.वी. द्वारा उचित अर्थदंड लगाया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गए 35 मामलो[12] में से 30[13] मामलों में सुपुदर्गी में 2 से 150 दिनो के बीच की देरी हुई थी। यद्यपि, जी.वी. ने, कार्यादेश के उल्लघंन के लिए कोई कार्रवाई शुरू नही की।

जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि प्रिंटिग आदेशो में विशेष लिक्विडेटेड डैमेज क्लाउस का समावेशन प्रक्रियाधीन है।

10.9.3 पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक किताबों का प्रकाशन

जी.वी. का पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद से 12 विभिन्न टाइटलो के उच्च माध्यमिक (एच.एस.) पुस्तकें मुद्रित, प्रकाशित और बेचने का 1988-89 से

[12] 18 नई टाइटल्स और 17 पुन: मुद्रित

[13] 9 मामलों में सुपुर्दगी का विवरण मौजूद नहीं था।

अनुबंध था। मार्च 2010 में अंतिम अनुबंध 2010-13 की अवधि के लिए किया गया और उस अनुबंध को अप्रैल 2013 में समाप्त कर दिया गया। अनुबंध के अनुसार यदि अनुबंध के खत्म होने तक किताबे नही बेची जाती है तो परिषद को किताब के अंकित मूल्य 60 या 65 प्रतिशत की दर से उन किताबों को वापस खरीदना होगा और खराब हुई किताबों को काउंसिल द्वारा वहन करने की आवश्यकता नही होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अवधि 2010-13 के दौरान, जी.वी. ने परिषद से प्रिंटिग के लिए सूचना प्राप्त किए बिना ₹4.53 करोड़ की दर पर 39.60 लाख किताबें मुद्रित की। अनुबंध के अंत में, जी.वी. के पास ₹1.48 करोड़ मूल्य के 15.52 लाख किताबों (9.94 लाख + 5.58 नष्ट किताबे)[14] का स्टॉक था। इसके अलावा प्रिटिंग के लिए प्रस्ताव वास्तविक क्लोजिंग स्टॉक से न लेकर बिक्री नही हुए किताबों के अंतिम मुद्रण के शेष से ली गई थी। अत: प्रिंट होने के लिए किताबो की वास्तविक आवश्यकताओं का सही आकलन नही होने से अधिक किताबों की प्रिंटिग हुई जो स्टॉक में पड़ी थी। काउंसिल को (मई 2013) 9.52 लाख बिक्री नहीं हुई प्रतियों के लिए ₹2.53 करोड़ का दावा अधिनामित किया गया और काउंसिल को अंतरिम प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट (दिसम्बर 2014) के आधार पर 9.04 लाख बिक्री न हुई प्रतियों के लिए ₹2.36 करोड़ का संशोधित दावा भेजा गया था। चूंकि किताबे काउंसिल द्वारा जारी प्रिंट आदेश के बिना प्रकाशित हुई, काउंसिल से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2015)। आगे, अनुबंध के अनुसार काउंसिल ने नष्ट किताबों का मूल्य वहन नही किया जिससे जी.वी. को 5.58 लाख नष्ट किताबों का कुल नुकसान हुआ।

जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि वापस खरीदने के बदले कोई राशि प्राप्त नही हुई, इसके लिए लगातार कोशिश की गई यहाँ तक कि काउंसिल के प्राधिकारी से विचार विमर्श के आधार पर किताबे पुन: मुद्रित हुई। उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि काउंसिल को किताबे मुद्रित करने की अनुमति के लिए पत्र भेजे गए थे लेकिन इसके लिए काउंसिल की अनुमति प्राप्त नही हुई।

[14] पैरा 2.5 में स्टोर प्रबंधन का विवरण

10.9.4 किताबों की बिक्री

वर्ष 2012-15 के दौरान कुल बिक्री में ऐजेंटों, सेल्स आउटलेटो और पुस्तक मेलों द्वारा किया गया योगदान क्रमश: 70,17 और 13 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने बिक्री के क्रियान्वयन में कई खामिया पाई जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

जी.वी.एम.सी. ने निर्णय लिया (दिसंबर 2007) कि किताबो की बिक्री के लिए त्रिपुरा, उड़ीसा और दिल्ली के एजेंटो की पहचान की जाए लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर एजेंट नियुक्त करने में जी.वी असफल रहा। पश्चिम बंगाल में भी 19 जिलों में से केवल 11 जिलों में एजेंटों द्वारा बिक्री की व्यवस्था की जा सकी। मार्च 2015 तक, केवल 21 एजेंट थे (जून 1983 से सितंबर 2010 तक शामिल किए गए) जिसमें से केवल 7 कार्यकारी एजेंट है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-15 के दौरान, ऐजेंटों द्वारा किए गए कुल बिक्री गिरकर ₹406.66 लाख से ₹134.98 लाख रह गई। इसके अतिरिक्त यद्यपि ऐजेंटो के लिए बिक्री का न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य ₹5 लाख (मई 2011) सशर्त तय किया गया कि यदि लक्ष्य पूरा नही होता है तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा, 2014-15 के दौरान सात सक्रिय एजेंटों में से केवल पॉच ने न्यूनतम बिक्री लक्ष्य पूरा किया। दो एजेंटों का अनुबंध बिक्री लक्ष्य पूरा न होने के कारण अनुबंध रद्द नही किया गया। यह भी पाया कि जी.वी. ने न तो सितंबर 2010 के बाद नये एजेंटो की नियुक्ति के लिए कोई कार्रवाई की और ना ही लक्ष्य को पूरा नही करने वाले एजेंटों को हटाया। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि एजेंटो तथा अन्य राज्यों में संभावित खरीददारों को जोड़ने की शुरूआत की जा चुकी है।

जी.वी.एम.सी. ने दिसंबर 2007 में किताबों की ई-सेलिंग के लिए निर्णय लिया लेकिन (नवंबर 2015) तक शुरू नही की जा सकी। जीबी ने आगे कहा कि किताबो की ई-सेलिंग का कार्यक्रम की शुरूआत फरवरी 2016 से होगी।

10.9.5 जी.वी. की वित्तीय क्षमता नहीं होना

के.एस. ने एक प्रकाशन इकाई के रूप में जी.वी. की वाणिज्यिक क्षमता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक समिति ने पाया (2006) कि टैगोर का जी.वी. को स्थापित करने का उद्देश्य न केवल उनकी रचनाओं की अच्छी तरह से प्रकाशित करने का था बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली आय से वी.बी. को लगातार वित्तीय मजबूती

प्रदान करना था। जी.वी. के लाभ हानि खाते बताते है कि कुल लाभ अन्य आय के समावेशन के कारण वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमश: ₹2.52 करोड़, ₹(-)98.91 लाख और ₹1.72 करोड़ रहा, यद्यपि वर्ष 2012-15 के दौरान एक आपरेशनल नुकसान हुआ जैसा कि नीचे **तालिका** में दिखाया गया।

वर्ष	प्रत्यक्ष व्यय	अप्रत्यक्ष व्यय[15]	कुल व्यय	कुल बिक्री	अधिशेष[16]घाटा/
2012-13	165.16	311.95	477.11	522.92	45.81
2013-14	43.91	284.84	328.75	205.57	(-) 123.18
2014-15	64.63	344.79	409.42	209.04	(-) 200.38

अप्रत्यक्ष व्यय 10 प्रतिशत बढ़ गया जबकि विक्रय 60 प्रतिशत कम हो गया है। 2013-14 से घाटे में वृद्धि का कारण अप्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि है और एच.एस. काउंसिल के साथ अनुबंध समाप्त करने के कारण विक्रय में कमी थी। उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि 2013-15 के दौरान जी.वी. के प्रकाशन गतिविधियों को ₹3.24 करोड़ की हानि हुई। यद्यपि, जैसा जी.वी. स्टॉफ के वेतन पर व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा वहन किया गया था, तथापि जी.वी. वेतन पर हुए व्यय को छोड़कर इस अवधि के दौरान कुल घाटा ₹1.07 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि काउंसिल के साथ अनुबंध समाप्त करने के बाद जी.वी. ने अपनी वाणिज्यिक क्षमता को अधिक आय द्वारा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी। यह इसके वाणिज्यकीय उद्देश्यों की गैर-पूर्ति में परिणत हुआ।

जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि यथेष्ट ऊपरी भार के साथ अंतर्निहित एक सरकारी व्यवस्था में जी.वी. को वाणिज्यिक क्षमता के साथ चलाना बहुत कठिन है। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि कर्मा समिति ने निर्णय लिया था कि जी.वी. को एक प्रकाशन इकाई के रूप में अपनी वाणिज्यिक क्षमता को बनाए रखना चाहिए।

[15] अप्रत्यक्ष व्यय में स्थापना मूल्य, कार्यालय व्यय और जी.वी. स्टाफों का वेतन ₹85.99 लाख (2012-13), ₹94.82 लाख (2013-14) , ₹122.15 लाख (2014-15) और अन्य व्यय शामिल है।

[16] आंतरिक प्राप्ति अर्थात निवेश पर ब्याज, विविध प्राप्तियों इत्यादि शामिल नहीं किये गये हैं।

10.9.6 स्टोर प्रबंधन

स्टोर प्रबंधन प्रणाली में पाई गई कमियों का विवरण नीचे है;

- जी.वी. का 31 मार्च 2015 तक स्टॉक-इन-ट्रेड का मूल्य (लागत मूल्य) ₹2.88 करोड़ था जिसमें 7.78 लाख प्रतियां थी। यद्यपि शून्य शेष सहित 54803 प्रतियां सम्मिलित है। जी.वी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और इन पुस्तकों की लागत को स्टोर विवरण में शामिल किया गया।

- जी.वी.एम.सी. ने "स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स"[17] को छांटने और उत्पादन लागत वसूलने और गोदाम स्थल बनाने के लिए उन किताबों को 50 प्रतिशत डिस्काउंट पर पूरे वर्ष बेचने का निर्णय (अप्रैल 2013) लिया। जी.वी. ने 2013-15 के दौरान पुस्तक मेले में ₹6.09 लाख के बिक्री मूल्य पर स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स की 0.66 लाख प्रतियां बेची फिर भी मार्च 2015 तक ₹78.71 लाख मूल्य की स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स[18] की 2.44 लाख प्रतियां बेची नही जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जी.वी. ने किसी एजेंट या सेल्स आउटलेट के द्वारा बेचने की पहल न कर केवल पुस्तक मेले में ही बेचा। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि एजेंटों को स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स बेचने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से संलग्न किया जाएगा। इसके अलावा,

- स्टोर डिवीजन के अभिलेख प्रबंधन की स्थिति दयनीय है क्योंकि विभिन्न गोदामों/ आउटलेटों में पड़ी हुई किताबो का कोई समेकित विवरण मौजूद नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पुरानी प्रकाशित किताबे स्टॉक में ही पड़ी रह गई और नई किताबे बेच दी गई। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि दो गोदामों के स्टॉक रजिस्टरों का अच्छी तरह से अनुरक्षण किया जा रहा था। उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि किसी विशेष किताब की समेकित स्टॉक स्थिति मौजूद नही थी क्योंकि बाकी दो गोदामों में मौजूद किताबो का विवरण अभी तक अनुरक्षित नही किया जा रहा था।

---

[17] किताबे तीन साल पहले प्रकाशित हुई लेकिन बिक्री प्रतिवर्ष 100 से भी कम थी।

[18] नॉन मूविंग और स्लो मूविंग मदो का विश्लेषण वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मद स्टॉक सूची में उपलब्ध मदों के नामों के आधार पर किया गया था।

जीएफआर के नियम 192 का उल्लघंन करते हुए वर्षों से किताबों का प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया गया। अत: किताबों की प्रत्यक्ष मौजूदगी निश्चित नहीं की जा सकी है। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि किताबों का प्रत्यक्ष सत्यापन अब तक प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार, जी.वी. ने न तो कोई कुशल, प्रभावी और किफायती तरीके की प्रकाशन नीति बनायी और न ही प्रकाशन गतिविधि निष्पादित की, जो जी.वी. के वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रभावित करें।

यह मामला मंत्रालय को सूचित किया गया (नवंबर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

10.10 आउटसोर्सिंग अभिकरण को ₹32.87 लाख का अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा दृष्टांत पर आंशिक वसूली

2010-11 तथा 2014-15 के बीच, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने दिल्ली में अपने कार्यालयों की सुरक्षा को एक निजी अभिकरण को आउटसोर्स किया। आईसीएसएसआर ने निजी अभिकरण को ₹32.87 लाख अधिक अदा किए जिसमें से लेखापरीक्षा दृष्टांत पर ₹11.64 लाख की वसूली की गई थी।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने नई दिल्ली[19] में अपने कार्यालयों की सुरक्षा को एक निजी अभिकरण को आउटसोर्स किया है। सुरक्षा अभिकरण ने आईसीएसएसआर को आवधिक रूप से इन्वाईस प्रदान की थीं जिसमें परिनियोजित सुरक्षा कार्मिक, कार्मिकों की दर, संख्या तथा परिनियोजित माह-दिवस के ब्यौरे शामिल थे जिसके आधार पर आईसीएसएसआर ने अभिकरण को भुगतान किया था।

अभिकरण दवारा परिनियोजित कार्मिकों के उपस्थिति अभिलेखों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तव में परिनियोजित कार्मिकों की संख्या अभिकरण द्वारा किए गए दावे तथा आईसीएसएसआर द्वारा अदा किए गए से

[19] अरूणा आसफ जली रोड पर मुख्यालय तथा एन.ए. एस.एस.डी.ओ.सी पुस्तकालय भवन फिरोज शाह रोड।

कम थी। यह मई 2010 तथा जून 2014 के बीच अभिकरण को ₹32.87 लाख के अधिक भुगतान का कारण बना।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, आईसीएसएसआर ने इस आधार पर कि शेष वसूलनीय नहीं था क्योंकि भुगतान उस समय की प्रचलित दरों तथा कुछ अतिरिक्त कार्य घण्टों के आधार पर किया गया था, अभिकरण से वसूली (फरवरी 2015) को ₹11.64 लाख तक सीमित किया गया। तथापि तथ्य है कि अभिकरण ने स्वयं अधिक मासिक दरों अथवा अतिरिक्त कार्य घण्टों का दावा नहीं किया था लेकिन इसकी बजाय अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिक की तैनाती के लिए प्रतिपूर्ति का गलत दावा किया। इसलिए आईसीएसएसआर द्वारा अधिक भुगतान स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, आईसीएसएसआर द्वारा अपर्याप्त सत्यापन का परिणाम सुरक्षा अभिकरण को ₹32.87 लाख के अधिक भुगतान में हुआ जिसमें से केवल ₹11.64 लाख की वसूली की गई है।

मामला नवम्बर 2015 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।